तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
12/4/24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गयी। बावजूद आवाजें दिलाने के अनुपस्थित रहने के विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील वादीगण के पत्रावली पर बहस सुनी। आदेश अलग से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली। की जावे पत्रावली नियम अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय पीठासीन ... संख्या : 173/2023

5/1.4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

संख्या : 173/2023

प्रार्थीगण :–

1. गुणेशाराम पुत्र दानाराम
2. घण्डाराम पुत्र दानाराम
3. देराजराम पुत्र जगताराम
4. प्रभुराम पुत्र धूंकलाराम
5. पूराराम पुत्र जगताराम
6. भगवानाराम पुत्र धूंकलाराम
7. हरचन्दराम पुत्र धूंकलाराम
8. हरदासराम पुत्र दानाराम
   जाति जाट निवासी ईश्वरपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. जूंजाराम पुत्र मोडाराम
2. पाबूराम पुत्र मोडाराम
3. भीखीदेवी पत्नी मोडाराम
4. उदाराम पुत्र मंगलाराम
5. उदाराम पुत्र घमण्डाराम
6. जोगाराम उर्फ चूनाराम पुत्र घमण्डाराम
7. रावताराम पुत्र इन्दाराम
   जाति जाट निवासी ईश्वरपुरा गुडामालानी जिला बाड़मेर
8. अमराराम पुत्र रणछाराम
9. उदाराम पुत्र जैरूपाराम
10. कोजाराम पुत्र होथीराम
11. खंगाराराम पुत्र हेमाराम
12. चुतराराम पुत्र जैरूपाराम
13. तेजाराम पुत्र होथीराम फौत के कायम मुकाम–
    13/1 पूनमाराम पुत्र तेजाराम
    13/2 जोगाराम पुत्र तेजाराम
    13/3 रतनाराम पुत्र तेजाराम
    13/4 हपाराम पुत्र तेजाराम
14. लूंगादेवी पत्नी हेमाराम
15. लाभूराम पुत्र रणछाराम
16. सांवलाराम पुत्र हेमाराम जाति रबारी निवासी ईश्वरपुरा
17. अणसीदेवी पत्नी सांवलसिंह पुरोहित
18. कमलादेवी पत्नी दुर्गसिंह
19. गुलाबीदेवी पत्नी मूलसिंह
20. रूखमोदेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति राजपुरोहित निवासी ढीमणी तहसील गुड़ामालानी
21. तहसीलदार गुड़ामालानी

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 12.02.2024

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की पत्रावली पर बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा ईश्वरपुरा पटवार हल्का बांटा के खेत खसरा नम्बर 139 रकबा 12.8366 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा ईश्वरपुरा पटवार हल्का बांटा के खेत खसरा नम्बर 139 रकबा 12.8366 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक, पीपराली को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक ...12/2/24...... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

/2024/115 दिनांक : 19/2/24

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

गुणेशाराम वगैरा **जूंजाराम वगैरा**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं......173/2023.. निर्णय दिनांक :– **12.02.2024**

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम **ईश्वरपुरा पटवार हल्का बांटा** के खेत खसरा नम्बर 139 रकबा 12.8366 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु **भू–अभिलेख निरीक्षक, पीपराली**....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये ...0500/–...प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी
दिनांक : 19/2/24

कमांकः वाद/2024/116-117
प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. थानाधिकारी.........गुड़ामालानी.
3. भू–अभिलेख निरीक्षक **पीपराली**
4. हल्का पटवारी....**बांटा.** को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
5. प्रार्थीगण.........गुणेशाराम वगैरा
6. विप्रार्थीगण.......जूंजाराम वगैरा

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी